

आपका कर भारत की प्रगति के लिए वरदान



भारत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए
अपना आयकर रिटर्न समय पर जमा करें!

- रिटर्न www.incometax.gov.in पर जमा किया जा सकता है।
- आयकर रिटर्न जमा करने में देरी के परिणाम इस प्रकार हैं:
 - ❖ कुछ नुकसानों को आगे नहीं ले जाया जा सकता है।
 - ❖ धारा 234ए के तहत ब्याज लगाया जाता है।
 - ❖ धारा 234एफ के तहत शुल्क लगाया जाता है।
- समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से करदाताओं को कई तरह से मदद मिलती है जैसे :
 - ❖ आईटीआर जमा करते रहने से ऋण और क्रेडिट सुविधाओं तक बाधा रहित पहुँच प्राप्त होने में मदद मिलती है
 - ❖ आईटीआर से वीजा आवेदनों की प्रक्रिया में मदद मिलती है
- इसे जमा करने से पहले अपने फॉर्म 26 एएस, एआईएस और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जाँच करें। गलत कटौतियों और छूट का दावा न करें।

ध्यान दें!

वे व्यक्ति और संस्थाएँ (जिनके बही खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है)

31 जुलाई, 2024

को या उससे पहले निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) ई-फाइल करें।

अधिक जानकारी के लिए
www.incometax.gov.in
पर जाएं



आयकर विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड



अधिक जानकारी के लिए
क्यूआर कोड स्कैन करें